E Content for the Students of Patliputra University

Subject Political Science

Class - B.A.(Hons.), Part-III, Paper VIII

Topic Swaraj Party

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Pol. Sc.
R.R.S. College, Motihari

1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन, गांधी जी को छः वर्ष की कारावास की सजा तथा कोई कार्यक्रम के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रकार की रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस रिक्तता को दूर करने का प्रयास कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने एक स्वराज दल का गठन कर किया।

1919 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रांतों के लिए द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। इस हेतु प्रांतीय तथा केंद्रिय विधायिका के लिए चुनाव होने थे। प्रांतों में कुछ विषयों पर प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही दी जानी थी। अतः कांग्रेस के कुछ लोगों की इच्छा हुई कि इस चुनाव में भाग लिया जाय। किंतु इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा असहयोग तथा बहिष्कार का निर्णय लिया जाना था। कांग्रेस का अधिवेशन गया में किया गया। जो लोग कांग्रेस की नीति में परिवर्तन चाहते थे वे Pro-changer कहलाये। इसके प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू तथा सी० आर० दास थे। जो लोग कांग्रेस की नीति में परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे No changer कहलाये, इसके प्रमुख नेता वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद थे।

Pro changer तथा No-changer के बीच की असहमति को ध्यान रखते हुए निर्णय यह लिया गया कि जो लोग चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे अलग संगठन के नाम से चुनाव लड़े। कांग्रेस उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखेगी, न कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

इसी पृष्ठभूमि में स्वराज दल का गठन किया गया। इस दल ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। स्वराज दल ने अपने घोषित उद्देश्य में यह स्पष्ट किया कि उनकी नीति "अड़ंगेबाजी तथा असहयोग" उत्पन्न करने की होगी, जिससे 1919 के अधिनियम की असंगतियों को उजागर किया जा सके। इस प्रकार स्वराजवादी यह संकेत देना चाहते थे कि वे पदलोलुप या सत्ता समर्थक नहीं हैं वे कांग्रेस की नीति से भिन्न नीति नहीं रखते हैं, वरन् उनकी नीति भी वही है जो कांग्रेस की है। अर्थात वे भी भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

कांग्रेस 1919 के अधिनियम को उसके अन्तर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की आलोचना करती थी। स्वराज दल ने इस विरोध को प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया।

इसका असर यह हुआ कि स्वराज दल कोई कांग्रेस विरोधी दल नहीं समझा गया। अतः चुनाव में जनता ने स्वराज दल के उम्मीदवारों को बढ़ चढ़ कर मत प्रदान किया। परिणाम अपेक्षा के अनुकूल रहा अधिकांश राज्यों में स्वराज दल को बहुमत मिला। केन्द्रीय असेम्बली में कुल 145 सदस्यों में स्वराज दल को

45 स्थान मिले। फल स्वरूप मोतीलाल नेहरू को विपक्ष का नेता घोषित किया गया।

स्वराज दल की कार्यप्रणाली

स्वराज दल ने अपनी कार्यप्रणाली में अड़ंगे तथा अवरोध की नीति का पालन किया। बहुमत प्राप्त प्रांतों में सरकार बनाने से इंकार तथा अल्पमत की बनी सरकारों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा गिराये जाने का निर्णय स्वराज दल ने किया। परीणाम स्वरूप संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। द्वैध शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण विभाग राज्यपाल के पास थे, जिसकी देख रेख कौंसिलर करते थे। निर्वाचित प्रतिनिधियों के विभागों का भी निर्माण इस रूप में था, जिनमें सामंजस्य बैठाना मुश्किल था। जैसे कृषि विभाग और सिंचाई विभाग अलग थे। दोनों के बीच सामंजस्य के अभाव में कृषि विभाग के दायित्व का निर्वाह संभव नहीं था। इसी प्रकार वित्त विभाग का राज्यपाल का नियंत्रण था, किंतु वित्त के अभाव में किसी विभाग का कोई कार्य नहीं हो सकता था। स्वराज दल के प्रतिनिधियों में या तो मंत्री के रूप में या विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में काफी एकरूपता पाई जाने वाली इन असंगतियों को काफी उजागर किया।

इसी प्रकार केंद्रीय असेम्बली में विपक्षी दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू ने विभिन्न विभागों के कार्यों पर प्रश्न पूछकर, दस्तावेज मांग कर, वैकल्पिक नीति बताकर, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कई

ऐसे दस्तावेज देते, विभागों/ गतिविधि के विरुद्ध सरकार के विरोध प्रस्ताव थे, दमनकारी थे, शोषण पर आधारित थे। इससे भी सरकार ठोस दबाव का अनुभव नहीं की।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि स्वराजवादी सरकार पर दबाव बनाने, घेराबंदी करने, अड़ंगेबाजी द्वारा उलझाने तथा निर्णय तक नहीं पहुंचने देने में सफल रहे। इन लोगों ने 1919 के अधिनियम की खामियों को उजागर करने में सफलता प्राप्त की। बाद में 1924 में मुडीमैन कमेटी तथा 1927 में साइमन कमीशन ने द्वैध शासन प्रणाली को भारत में असफल बतलाया। इसमें स्वराज दल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वराज दल ने असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद की रिक्तता को दूर करने में सफलता प्राप्त की। 1925 में सी० आर० दास की मृत्यु तथा 1927 के बाद साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन की पृष्ठभूमि में स्वराज दल ने अपनी गतिविधियों को कांग्रेस के साथ ही जोड़ दिया।

इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा संवैधानिक विकास के इतिहास में स्वराज दल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।